न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

ण संख्याः 156 / 2022

ार्थीगण :–

1. दिनेश पुत्र तेजाराम
2. मानाराम पुत्र तेजाराम
3. सुवटी पत्नी तेजाराम
   कौम विश्नोई निवासी जुगताणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मीरोंदेवी पत्नी भीखाराम
2. सुगणीदेवी पत्नी हीराराम
   कौम विश्नोई निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. पुरूषोतम जैन पुत्र मोहनलाल जैन निवासी गुड़ामालानी
4. धनराज वल्द लीलाधर जोशी निवासी गुडामालानी हाल बाड़मेर
5. मांगा वल्द करनाराम
6. जोगाराम वद चमनाराम
   कौम देवासी साकिन जुगताणियों की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 31.10.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) [illegible] मौजा जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 738 [illegible] 5.6[illegible] हैक्टेयर किस्म बा.दो. का अवलोकन किया। [illegible] खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 14:05:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र आलपुरा के राजस्व ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 738 रकबा 5.6089 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31/10/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 14:05:46 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी